11539 - सख्त गर्मी में काम करने की वजह से रोज़ा तोड़ देने वाले का हुक्म

प्रश्न

मैं सऊदी अरब में एक कठिन काम करता हूँ और वह निर्माण का कार्य है, मेरे साथ पंद्रह लोग काम करते हैं। जब रमज़ान का महीना आया तो हम ने पहले और दूसरे दिन रोज़ा रखा, फिर सभी लोगों ने महीने के शेष रोज़े नहीं रखे जिनमें मैं भी शामिल था। क्योंकि हम मिस्र से आये थे और पहली बार वातावरण के बदलाव का सामना हुआ था। दूसरे वर्ष मैं ने रमज़ान के रोज़े रखे। तो प्रश्न यह है कि इसका क्या हुक्म है, जबकि ध्यान रहे कि दूसरा रमज़ान आ गया और मैं ने उसके रोज़े रखे और पिछले रमजान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा नहीं की है ? हमें इसके बारे में अवगत करायें, आप अज्र व सवाब के पात्र होंगे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

यह आपके ऊपर हराम है, और आपके लिए जाइज़ नहीं है क्योंकि रमज़ान का रोज़ा इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक स्तंभ है, अल्लाह तआला का फरमान है :

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة : 183]

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बक़रा: 183)

उस समय अल्लाह के पास आप का क्या उज्र (बहाना) होगा जब आप क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जबकि उसने आप को स्वास्थ्य दिया और इसके उपरांत भी आप ने उसके आदेश का पालन नहीं किया और और उसकी आयतों पर अमल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है :

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة : 183]

“ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो।” (सूरतुल बक़रा: 183)

और अल्लाह का फरमान “तुम्हारे ऊपर लिख दिया गया है।” अर्थात् तुम्हारे ऊपर फर्ज़ कर दिया गया है जिस तरह कि तुम से पहले लोगों पर फर्ज़ किया गया था ताकि तुम ईश्भय अपनाओ और संयमी बनो। इस आयत में अल्लाह ने तक़्वा (ईश्भय और सयंम) को रोज़े का उद्देश्य और रोज़े को तक़्वा प्राप्त करने का साधन बनाया है, अत: आपके ऊपर ऐसा करना हराम और निषिद्ध है। आपके ऊपर अनिवार्य है कि तौबा करें, इस्तिग़फार करें और जो कुछ हो चुका उस पर पश्चाताप प्रकट करें। आपका काम करना कोई उज्र (बहाना) नहीं है। आपके लिए संभव है कि रात में काम करें। और यदि आप ऐसा न कर सकें तो काम छोड़ दें, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है, आप महीना समाप्त होने तक काम छोड़ दें या कोई आसान काम करें जिसके साथ आपके लिए रोज़ा रखना संभव हो, किंतु आप रमज़ान में केवल इस वजह से रोज़ा तोड़ दें कि आप काम करते हैं तो यह जाइज़ नहीं है। यदि आपके ऊपर पिछले रमज़ान के कुछ रोज़े बाक़ी हैं जिनकी आप ने क़ज़ा नहीं की है तो आप पर क़ज़ा करना और खाना खिलाना अनिवार्य है, प्रति दिन के बदले एक मुद्द (लगभग 510 ग्राम) गेंहूँ या आधा साअ् (लगभग 1.2 किलो ग्राम) उसके अलावा से खिलायें। तथा आपके ऊपर अनिवार्य है कि इस तरह का काम दुबारा न करें। अत: आप अल्लाह से माफी माँगें और अल्लाह सर्वशक्तिमान के सामने खड़े होने को याद करें, इसी तरह इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह सर्वशक्तिमान आप का मुहासबा करेगा। अल्लाह तआला हमें और आप को उस चीज़ की तौफीक़ दे जिसे वह पसंद करता और खुश होता है।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।